Therefore, I request the hon. Minister to see that the concerned departmental authorities should allocate the above mentioned crude products to Southern Zone and also to increase the quota of such allocations over and above the quantity allotted during 1973-74.

(iv) DEPLORABLE CONDITION OF THE EMPLOYEES OF MESSRS GIOVANALA-BINNY LTD. COCHIN DUE TO LOCK-OUT

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): This is to bring to the notice the serious and deplorable conditions of the employees of M/s. Giovanala-Binny Ltd., Cochin, a heavy engineering company. This company is practically locked out from 1977 onwards by the wilfull and intentional mismanagement. The Inquiry Commission of 1979 has submitted its report. No action seems to have been taken either by the Central or State Governments to start this company which has been manufacturing engineering items for national schemes and public utility. Many orders are pending for completion with the company. The lock-out is entirely mischievous with the sole intention of forcing the government to take it over and I urge upon this government, considering the importance and utility of the goods produced, the profits it used to make and the present miserable conditions of over 400 employees, to take speedy steps either to take over the management or compel the State Government to take over the management of Giovanala-Binny Ltd. of Cochin without further delay.

(v) NEED FOR DECLARING URDU AS A SECOND OFFICIAL LANGUAGE IN UTTAR PRADESH

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : **बिहार सरकार ने उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कर दिया है । बिहार सरकार का यह कार्य बहुत सराहनीय है और इसके लिए वह बधाई की पात्र है ।**

उत्तर प्रदेश में भी वर्षों से उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिये जाने की मांग चली आ रही है । यहां पर उर्दू-भाषी लोगों की संख्या बिहार की अपेक्षा बहुत अधिक है । उत्तर प्रदेश में अभी तक उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा न मिलने से उर्दू भाषी लोगों को बहुत क्षोभ है । मैं केन्द्रीय सरकार और विशेषकर प्रधान मंत्री से मांग करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दे कि वह शीघ्रातिशीघ्र उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित करे ।

(vi) LATE-RUNNING OF TRAINS

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : नये रेल मंत्री की नियुक्ति तथा रेलवे बोर्ड में परिवर्तन के बाद लोगों में आशा जगी थी कि रेल गाड़ियों का आना-जाना समय से हो सकेगा । यात्री महसूस कर सकेंगे कि कहीं जाने पर वे समय से पहुंच जायेंगे तथा उनका निर्धारित काम पूरा हो जायेगा ।

परन्तु दुःख है कि स्थिति में परिवर्तन के आसार नहीं दीख रहे हैं । गाड़ियों का विलम्ब से चलना आज भी जारी है । लगता है कि कोई किसी को देखने-सुनने वाला नहीं है ।

गाड़ियों का विलम्ब से चलना सारे भारत की समस्या बन गयी है । हां, किसी क्षेत्र में स्थिति कम गंभीर है और किसी क्षेत्र में अधिक लोग महसूस नहीं कर पाते कि वे गन्तव्य स्थान पर समय पर पहुंच कर अपना काम कर लेंगे । अभी 30 नवम्बर, और 1 दिसम्बर की बात है । दिल्ली से पूरब और कलकत्ते से पश्चिम जाने वाली कोई भी गाड़ी घंटों कम विलम्ब से अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंची । तिनसुकिया मेल, कालका मेल, डिलक्स, सोनभद्र एक्सप्रेस. दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस, अपर इंडिया एक्स-प्रेस आदि सभी गाड़ियां घंटों विलम्ब से

अपने गन्तव्य स्थान पहुंची। तिनसुखिया मेल दिल्ली स्टेशन पर चौदह घंटे 20 मिनट लेट पहुंची। उस में संसद सदस्य श्री हरिनाथ मिश्र जी के साथ मैं भी यात्रा कर रहा था। हम दोनों ने समझा था कि डिलक्स के बजाय तिनसुकिया मेल से चलने से विलम्ब होने पर भी हम लोग लोक सभा की बैठक शुरू होने तक पहुंच जायेंगे क्योंकि उसका नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचने का हमय 5.20 बजे सवेरे है। मुझे भागलपुर जेल के विचाराधीन बंदियों की आंख फोड़ने सम्बन्धी घटना पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई बहस में हिस्सा लेना था। वह गाड़ी सवेरे के बजाय साढ़े सात बजे रात्रि में दिल्ली पहुंची।

यह स्थिति बड़ी ही निन्दनीय है। इस लोक महत्व के प्रश्न पर लोकसभा में विचार होना आवश्यक है। इसके लिए कोई उपाय होना चाहिए।

(vii) RE. JOB AND OTHER RESERVATIONS FOR BACKWARD CLASSES

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला): भारत में 60 प्रतिशत से अधिक पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनके उद्योगधंधे जो इस देश की रीढ़ हैं, वे अधिक महत्व न दिये जाने के कारण समाप्त होते जा रहे हैं। यहां के धीवर, झीवर, निषाद, मल्लाह, केवट, भोई, कीर, रायकवार, अहीर, काछी, मोराओ गड़रिया, कुर्मी, कुम्हार, नाई, तेली, बढ़ई, लोहार, लोधी, किसान आदि सदैव से अपने परम्परागत धंधों में लगे हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक शोषण के कारण देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बहुत ही पिछड़े हैं। भारतीय संविधान में इनको विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 के अनुसार शिक्षा, धंधों व सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था है कि जिन पिछड़े वर्गों के लोग सरकारी नौकरियों में सही प्रतिनिधित्व न पायें हों, उनको केन्द्रीय और राज्य सेवाओं में आरक्षण दिया जायेगा। इस तरह की रिपोर्ट काका कालेलकर कमीशन जो पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है वह कई साल पहले दे चुका है। परन्तु अभी तक पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण केन्द्र की सरकार ने नहीं दिया है जिससे इन लोगों को सरकारी नौकरियों में जाकर देश की सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर पिछड़ा वर्ग, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुपात से आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए और सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई नोटिफिकेशन जारी करे।

12.25 hrs.

PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move†:

"That the Bill to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, be taken into consideration."

The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, was enacted mainly to provide for speedy and summary eviction of unauthorised occupants from public premises. During the course of its operation, certain difficulties were experienced which were sought to be removed by an amendment Bill introduced in the Rajya Sabha on 24-8-1976. Simultaneously, a review was undertaken by the Government in respect of the working of various provisions of the Act. As a result of this review, a few more amendments, not covered by the amendment Bill, were consi-

†Moved with the recommendation of the President.